

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

एफ 5/अभि./CTAD/275(1)बजट घोषणा/ईएमआरएस क्षमता वृद्धि/2020-21/

दि. : 24/10/20

25596

उपायुक्त,
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,
प्रतापगढ़।

विषय : एकलव्य मॉडल रेजिडेन्शियल स्कूल (ईएमआरएस) बालिका टिमरवा पं.सं.
प्रतापगढ़ जिला प्रतापगढ़ में विभिन्न निर्माण कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय
स्वीकृति।

प्रसंग :परियोजना प्रबंधक स्वच्छ परियोजना एफ 1(2) निदे./स्वच्छ./2020-21/का
पत्रांक 1515 दिनांक 05.10.2020।

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभागीय पत्रांक 13553 दिनांक 14.07.2020 द्वारा एकलव्य मॉडल रेजिडेन्शियल स्कूल (ईएमआरएस) बालिका टिमरवा पं.सं. प्रतापगढ़ जिला प्रतापगढ़ क्षमता वृद्धि एवं सुविधा विकास कार्य हेतु राशि रूपये 382.39 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी एवं कार्यकारी एजेन्सी स्वच्छ परियोजना को नियुक्त किया गया। प्रथम किस्त में राशि रूपये 191.195 लाख हस्तांतरित किये गये। स्वच्छ परियोजना द्वारा ईएमआरएस टिमरवा का संशोधित तकमीना प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत मैदान पर राशि रूपये 58.86 लाख की लागत का प्रस्तावित डोम (छात्रावास के बीच के खुले चौक को कवर करने हेतु) को संशोधित तकमीने में से हटाया गया। इसके अतिरिक्त इन्टरनल पाथ वे व पार्किंग शेड का निर्माण कार्य प्रस्तावित किया गया है।

उपरोक्त कारणों से एकलव्य मॉडल रेजिडेन्शियल स्कूल (ईएमआरएस) बालिका टिमरवा पं.सं. प्रतापगढ़ जिला प्रतापगढ़ में 24 डोरमेट्री, गार्ड रूम, पार्किंग शेड, रनिंग ट्रेक, आन्तरिक पाथ-वे, रिपेयर एण्ड मेंटेनेन्स, खेल मैदान का विकास, डोम, सीसीटीवी, सौलर लाईट, आर ओ एवं इन्वर्टर आदि का निर्माण हेतु स्वच्छ परियोजना, उदयपुर से तकनीकी स्वीकृति मय तकमीना राशि रु. 335.08 लाख का प्राप्त हुआ। एकलव्य मॉडल रेजिडेन्शियल स्कूल (ईएमआरएस) बालिका टिमरवा पं.सं. प्रतापगढ़ जिला प्रतापगढ़ में प्रस्तावित निर्माण एवं सुविधाओं का विकास का विवरण निम्नानुसार है:-

		Amount Rs in lacs
S.No.	Name of Work	Amount
1	Part (A) - Construction of 24 No. Dormatory at ground, first & second floor	256.50
2	Part (B) - Construction of guard room	3.98
3	Part (C) - Construction of Parking Shed	2.75
4	Part (D) - CCTV, Solar Light, Inverter & R.O.	5.49
5	Part (E) - Construction of RunningTrack at Sports ground	3.25
6	Part (F) - Construction of Internal Pathway	4.58
7	Part (G) - Maintenance Work	13.55
8	Part (H) - Ground Development Work	10.01
	Total	300.11
	Add 1.5% Contingency Charges	4.50
	Sub Total	304.62
	Add 10 % Establishment Charges	30.46
	Grand Total	335.08

उपरोक्तानुसार प्रस्तावित राशि में से निम्नानुसार कार्य संपादित किये जाएंगे:-

क. सं.	तल	विवरण	मात्रा
A	भू-तल	8 डोरमेट्री 6 बेडेड	01
		टॉयलेट ब्लॉक (6 W.C., 6 Bath& Wash Area)	02
		इलेक्ट्रीक रूम	01
		ट्रेक निर्माण, आन्तरिक पाथ वे, गार्ड रूम, अन्य सुविधा- सीसीटीवी, सौलर लाईट, आरओ, इन्वर्टर	
B	प्रथम तल	8 डोरमेट्री 6 बेडेड	01
		टॉयलेट ब्लॉक (6 W.C., 6 Bath& Wash Area)	02
		इलेक्ट्रीक रूम	01
		वेटिंग रूम	01
C	द्वितीय तल	8 डोरमेट्री 6 बेडेड	01
		टॉयलेट ब्लॉक (6 W.C., 6 Bath& Wash Area)	02
		इलेक्ट्रीक रूम	01
		वेटिंग रूम	01

स्वच्छ परियोजना, उदयपुर से तकनीकी स्वीकृति मय तकमीना राशि रु. 335.08 लाख की प्राप्त होने से निम्नांकित तालिका के कॉलम संख्या-3 में वर्णित कार्य हेतु तकनीकी स्वीकृति अनुसार कॉलम संख्या-5 में वर्णित राशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नानुसार जारी की जाती है:-

क्र. सं.	जिला	स्थान	(राशि लाखों में)	
			तकनीकी स्वीकृति	
			क्र/दि.	राशि
1	2	3	4	5
1	प्रतापगढ़	एकलव्य मॉडल रेजिडेन्शियल स्कूल (ईएमआरएस) बालिका टिम्बरवा पं.स. प्रतापगढ़ जिला प्रतापगढ़ में 24 डोरमेट्री, गार्ड रूम, पार्किंग शेड, रनिंग ट्रेक, आन्तरिक पाथ-वे, रिपेयर एण्ड मेंटेनेन्स, खेल मेदान का विकास, डोम, सीसीटीवी, सौलर लाईट, आरओ एवं इन्वर्टर आदि का निर्माण	P.O./Swach Banswara/Technical/ 2020-21/ 110/ 04-10-2020	335.08

शर्तें-

- यदि कोई कार्य अन्य किसी स्रोत से पूर्व में स्वीकृत हो गया हो तो अविलम्ब सूचित करें। यदि दोहरा व्यय होता है तो इसकी जिम्मेदारी कार्यकारी एजेन्सी की रहेगी।
- राशि का उपयोग स्वीकृत कार्यों पर ही ड्राईंग, तकमीना एवं तकनीकी स्वीकृति अनुसार किया जावे। तकनीकी स्वीकृति के क्रम में जारी कार्यादेश एवं अन्य नियमानुसार राशि से अधिक व्यय इस विभाग की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जावे।
- रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अनिवार्य रूप से बनाया जावे।
- राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012, संशोधन 2013 एवं सामान्य लेखा व वित्तीय नियमों की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्य का सम्पादन गुणवत्ता पूर्वक किया जावे।
- स्वीकृत कार्यों का third party inspection समय-समय पर करवाया जायेगा। inspection के समय आवश्यक सूचनाएं कार्यकारी एजेन्सी द्वारा निरीक्षण दल को उपलब्ध

करवाई जावेगी। निरीक्षण में पाई गई कमियों को दुरस्त/ठीक करने की जिम्मेदारी कार्यकारी एजेन्सी की होगी।

6. कार्य प्रारंभ करने से पूर्व, प्रगति एवं पूर्ण होने के पश्चात् के फोटोग्राफ विभाग को प्रेषित किये जावे।
7. कार्य पूर्ण होने पर उपयोगिता व कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र के साथ बचत राशि जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग को पुनः लौटाई जावे।
8. कार्य प्रारंभ करने से पूर्व, प्रगति पर एवं पूर्ण होने के पश्चात् फोटोग्राफ विभाग को प्रेषित किये जावे एवं स्वीकृत कार्य की geo-tagging कर soft copy में comm.tad@rajasthan.gov.in पर प्रेषित कराना सुनिश्चित करावे।

(जितेन्द्र कुमार उपाध्यक्ष) I.A.S
आयुक्त

एफ 5/अभि./CTAD/275(1)बजट घोषणा/ईएमआरएस क्षमता वृद्धि/2020-21/
प्रतिलिपि-

दि. 24/10/20
25596-608

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
3. जिला कलक्टर प्रतापगढ़।
4. निदेशक/परियोजना प्रबंधक, स्वच्छ परियोजना, बडी रोड उदयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार कार्यालय हाजा।
6. परियोजना अधिकारी, स्वच्छ परियोजना, बांसवाडा।
7. निदेशक मॉनिटरिंग/कम्प्यूटर शाखा कार्यालय हाजा।
8. प्रधानाचार्य/अधीक्षक, एकलव्य मॉडल रेंजिडेन्शियल स्कूल (ईएमआरएस) टिमरवा पं.सं. प्रतापगढ़ जिला प्रतापगढ़।
9. गार्ड फाईल।

अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय)